**FORM No III**

**फर्द अहकाम**

( नियम 26 )

**अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर**

जुबैदा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मु0न0 102 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए का जरिये अभिभाषक श्री कृष्ण गोपाल खत्री द्वारा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (मु0)<br>अजमेर | |
| 25.11.24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को जारी नोटिस तामिल। अदम तामिल। वास्ते इन्तजार पत्रावली दिनांक 9-1-2025 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 10/1/25 | प्रार्थी। बहीत प्रार्थीगण ने अपने ऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में कथन फरमाया तलब किया। वास्तविकता वादी एक मृत व्यक्ति के लिखा गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारीज किया जाता है फरमाइश कोरम थुमार होकर नकल रस कम है।<br>सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर | Identified by<br>(जुबैदा) पति स्व. |

Scanned with OKEN Scanner